FC 240808

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ।

वित्त समिति की बैठक दिनांक 08 अगस्त, 2024 का कार्यवृत्त।

लखनऊ विश्वविद्यालय की वित्त समिति की बैठक आज दिनांक 08 अगस्त, 2024 को अपराहन 4:00 बजे प्रशासनिक भवन स्थित मंथन कक्ष में आहूत की गयी।

बैठक में निम्न अधिकारीगण उपस्थित रहे:–

1.	प्रो0 आलोक कुमार राय	कुलपति	अध्यक्ष
2.	प्रो0 मनुका खन्ना,	प्रति–कुलपति	सदस्य
3.	श्री विवेक कुमार सिंह	अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन, लखनऊ मण्डल, लखनऊ प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव (वित्त), उ0प्र0 शासन।	सदस्य
4.	श्री एस. पी. मिश्र,	उप–सचिव उच्च शिक्षा, प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, उ0शि0 उ0प्र0 शासन।	सदस्य
5.	श्री विद्यानन्द त्रिपाठी,	परीक्षा नियंत्रक / कुलसचिव	सदस्य
6.	श्रीमती हिमानी चौधरी	वित्त अधिकारी	सदस्य सचिव

बिन्दु संख्या–01

वित्त समिति की गत बैठक दिनांक 01 जुलाई, 2024 की अनुपालन आख्या समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसपर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–02

लखनऊ विश्वविद्यालय में दिनांक 27.05.2024 को आहूत बोर्ड ऑफ स्टडीज की बैठक में लिए गये निर्णयानुसार सत्र 2024–25 से आरम्भ किये जाने वाले नये पाठ्यकम Executive MBA हेतु तैयार किये गये शुल्क ढॉचे का निम्नवत् अनुमोदन किया जाना।

Sl No.	Subject	Amount Rs. (Per Semester)
1	Admission Fee	300.00
2	Games Fee	100.00
3	Library and E-library fee	300.00
4	Tuition Fee	68000.00
5	Municipal Fee	100.00
6	Delegacy	30.00
7	Student Welfare fund	100.00
8	Examination Fee	4000.00
9	Development Fee	25000.00
10	Cimputer Lab Fee	1000.00
11	Cultural Activities Fee	100.00
12	Identity Card	50.00
	Total Rs.	**99080.00**

ADDITIONAL FEE:

A. In addition, an enrolment fee shall be charged once only at the time of admission as per university norms.
B. In addition, a refundable caution money of Rs. 5000/- shall be charged at the time of admission in Executive MBA and refundable after declaration of the final year result if no loss or damage of the department property.
C. The fee of the Back Paper/Improvement Rs. 1000/- per paper will be charged from students of Executive MBA.
D. Exempted fee will be charged as regular examination fee.
E. Verification fee of Marksheet/Degree will be charged @ Rs. 2000/- (It includes Govt. organisations also).

समिति के द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्तुत शुल्क ढॉचें पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–03

विभागाध्यक्ष, समाज कार्य विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा प्रेषित प्रस्ताव जिसके द्वारा विभाग में संचालित स्ववित्त पोषित पाठ्यकम की आय से 01 फील्ड वर्क सुपरवाईजर (अतिकुशल कर्मी) रू0 940/– प्रतिदिन अधिकतम् रू0 28,200/– प्रतिमाह की दर से आउट–सोर्सिंग के माध्यम से नियोजित किये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा सर्वसम्मति से अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–04

लखनऊ विश्वविद्यालय द्वितीय परिसर स्थित इंस्टीड्यूट ऑफ फार्मास्यूटिकल सांइसेज,, फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग में फार्म. डी. और फार्म.डी (पी.बी.) के नाम से नये कोर्स खोले जाने विषयक प्रस्ताव पर विचार–विमर्श हेतुं प्रस्तुत किया गया, समिति द्वारा इसे अगली वित्त समिति की बैठक में रखने हेतु निर्देश प्रदान किये गये।

बिन्दु संख्या–05

लखनऊ विश्वविद्यालय में भूगोल पाठ्यकम को नियमित् किये जाने के उपरान्त शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक कार्मिको पर आने वाला व्यय–भार निम्नवत् है, से सम्बन्धित प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गयाः–

शैक्षणिक पदों पर व्यय–भार

Name of Post	No. of Post	Basic	DA	HRA	Total	Annual	Total
Professor	1	144200	72100	16400	237200	2792400	2792400
Associate Professor	2	131400	65700	14560	211660	2539920	5079840
Asstt. Professor	4	57700	28850	6300	92850	1114200	4456800
						Total	**1,23,29,040**

गैर शैक्षणिक पदों पर व्यय भार

Name of Post	No. of Post	Basic	DA	HRA	Total	Annual
Jr. Assistant	01	21700	10850	2400	34950	419400
Computer Operator	01	35400	17700	4040	57140	685680
Library Asstt.	01	29200	14600	3340	47140	565680
Lab Bearer	01	18000	9000	2200	29200	350400
Peon	01	18000	9000	2200	29200	350400
Safai Karmchari	01	18000	9000	2200	29200	350400
					Total	**27,21,960**

शैक्षणिक एवं गैर–शैक्षणिक पदों पर पड़ने वाला व्यय भार कुल रू0 1,50,51,000/–

समिति द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव को शासन को संदर्भित किये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–06

प्रो0 गीतांजलि मिश्रा, अधिष्ठाता अकादमिक, लखनऊ विश्वविद्यालय द्वारा प्रेषित Researcher in Residence Programm से सम्बन्धित नियमावली, वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत की गयी, जिसपर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–07

लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में दिनांक 18 जुलाई, 2024 को सम्पन्न हुई भवन एवं कार्य समिति की बैठक का कार्यवृत्त वित्त समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–08

लखनऊ विश्वविद्यालय प्रबन्धन विज्ञान संस्थान में संविदा पर कार्यरत शिक्षकों इंजीनियरिंग संकाय की भॉति वेतनवृद्धि दिये जाने से सम्बन्धित प्रस्ताव जोकि 22 दिसम्बर, 2023 को प्रस्तुत किया गया था, जिसे अगली वित्त समिति में रखने हेतु अनुमति प्रदान की गयी थी, को पुनः वित्त समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा सम्यक परीक्षणोंपरान्त वित्त समिति की अगली बैठक में रखे जाने हेतु सहमति प्रदान की।

बिन्दु संख्या–09

प्रो0 संगीता साहू, Head & Dean, Department of Management, Faculty of Management Studies, Lucknow University द्वारा प्रेषित प्रस्ताव जोकि MDPs/FDPs/Specialized Certificate Programmes से सम्बन्धित है के Norms निम्नवत् हैः–

1. The MDPs/FDPs/Specialized Certificate Programmes shall have a faculty member as a coordinator.
2. The Revenne generated from MDPs/FDPs/Specialized Certificate Programmes shall meet the expenditure of running the programme.
3. The surplus of the fee MDPs/FDPs/Specialized Certificate Programmes shall be shared with the coordinator and the university in the ratio of 70-30

समिति के द्वारा उपरोक्तानुसार प्रस्तुत प्रस्ताव पर अनुमोदन प्रदान किया गया।

बिन्दु संख्या–10

A Meeting of the committee constituted to formulate guidelines for honorarium of Profesor of Practice via Registrar Letter no. R/789/24 Dated 08 august, 2024 समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, परीक्षणोंपरान्त Industry Funded Profesor of Practice, Honorary Profesor of Practice and University funded Profesor of Practice का मानदेय निम्नवत् दिये जाने पर अनुमोदन प्रदान किया गयाः–

a. Honorarium @ Rs. 1500/- per hour.
b. Honorarium should have a cap @ Rs. 35,000/- per month as paid under the Professor of Eminence scheme by the university.

बिन्दु संख्या–11

लखनऊ विश्वविद्यालय के अभियांत्रिकीय संकाय में कार्यरत प्रयोगशाला अनुदेशकों को न्यूनतम वेतनमान रू0 35,400/– नियत + सी.पी. एफ. प्रतिमाह की दर से भुगतान किये जाने विषयक प्रस्ताव दिनांक 01 जुलाई, 2024 को वित्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया था, जिसपर समिति द्वारा इसे अन्य विश्वविद्यालयों का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे। तत्कम में प्रो0 ए.के. सिंह, संकायाध्यक्ष अभियंत्रिकीय संकाय द्वारा पुनः उक्त प्रस्ताव वित्त समिति के समक्ष विचार–विमर्श प्रेषित किया गया है। समिति द्वारा चर्चा के उपरान्त अभियांत्रिकीय संकाय में कार्यरत प्रयोगशाला अनुदेशकों को प्राप्त हो रहे नियत वेतन रू0 20,000/– में 20% बढ़ोत्तरी कार्य–परिषद के अनुमोदनोंपरान्त किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।

बिन्दु संख्या–12

प्रो0 पियूश भार्गव, निदेशक LUCODE, LUCKNOW UNIVERSITY, LUCKNOW द्वारा प्रेषित प्रस्ताव जिसमें की LUCODE के सफल संचालन हेतु 02 Technical assistant रू0 35000/– प्रतिमाह की दर से नियोजित किये जाने विषयक प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, प्रस्ताव औचित्यपूर्ण न पाए जाने के कारण अगली वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।

बिन्दु संख्या–13

प्रो0 केया पाण्डेय, अवैतनिक पुस्तकालयाध्यक्ष, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ द्वारा प्रोषित प्रस्ताव जिसके द्वारा अवगत कराया गया है कि टैगोर पुस्कालय में संरक्षित पाण्डुलिपियों के संरक्षण हेतु दिनांक 22 दिसम्बर, 2023 को निए गये निर्णय जिमसें पारिश्रमिक रू0 1000/– प्रतिदिन/रू0 25000/– प्रतिमााह विभाग की कान्टींजेन्सी से दिया जाना सम्भव नही है के स्थान पर किसी अन्य मद से भुगतान किये जाने विषयक प्रस्ताव समिति के समक्ष विचार–विमर्श हेतु प्रस्तुत किया गया, प्रस्ताव औचित्यपूर्ण न पाए जाने के कारण इसे आधार सहित प्रस्ताव अगली वित्त समिति के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।

मा0 अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अन्य बिन्दु।

अन्य बिन्दु

बिन्दु संख्या–12

श्रीमती शशि प्रभा तिवारी, उप–कुलसचिव की पूर्व विभाग में की गयी सेवा को वर्तमान सेवा में जोड़े जाने के सम्बन्ध में शासन द्वारा निर्गत पत्र संख्या 367/सत्तर–1–2024 दिनांक 04 जुलाई, 2024 के द्वारा 06.05.2020 सहायक कुलसचिव के पद पर कार्य भार ग्रहण करने से पूर्व विधिक माप विज्ञान, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में दिनांक 20.07.2004 से 05.05.2020 तक की वरिष्ठ निरीक्षक के पद पर की गयी सेवाओं को उनकी वर्तमान सेवाओं को जोड़े जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इसके आधार पर वेतन संरक्षण किये जाने की अनुमति प्रदान किये जाने विषयक प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जिसपर समिति द्वारा उनके वेतन संरक्षण किये जाने हेतु अनुमति प्रदान की गयी।

8.8.2024.

(हिमानी चौधरी)
वित्त अधिकारी

(विद्यानन्द त्रिपाठी)
परीक्षा नियंत्रक/कुलसचिव

(एस. पी. मिश्र)
उप–सचिव उच्च शिक्षा,
प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव, उ0शि0
उ0प्र0 शासन।

(विवेक कुमार सिंह)
अपर निदेशक, कोषागार एवं पेंशन,
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।
प्रतिनिधि अपर मुख्य सचिव (वित्त),
उ0प्र0 शासन।

HKhanna

(प्रो0 मनुका खन्ना)
प्रति–कुलपति

(प्रो0 आलोक कुमार राय)
कुलपति